सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 25/2018

1. अमरलाल पुत्र
2. सूरजमल पुत्र
3. नेमीचंन्द्र पुत्र
4. रमेश चन्द्र पुत्र

पिसरान माधोलाल जाति मेहर निवासी भगवानपुरा तह मांगरोल जर्ये मुख्तार आम अशोक कुमार पुत्र माधोलाल जाति मेहर

5. अशोक कुमार पुत्र माधोलाल जाति मेहर निवासी भगवानपुरा हाल रंगबाडी कोटा

–वादीगण

बनाम

1. धन्नालाल पुत्र भंवरलाल जाति मेहर निवासी भगवानपुरा हाल निवासी अयाना जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

–प्रतिवादीगण

वाद वास्ते दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 01.05.2018

निर्णय दिनांक : 25.06.2018

वादीगण ने जर्ये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि वादीगण प्रतिवादी कम 1 व मृतक पन्नालाल पुत्र भंवरलाल के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नं0 292 रकबा 2.43 है0, खसरा नं0 295/724 रकबा 1.40 है0 खसरा नं0 297 रकबा 1.75 है0, खसरा नं0 314 रकबा 1.31 है0, खसरा नं0 315/746 रकबा 2.25 है0 कुल किता 5 रकबा 9.14 है0 वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है इस आराजी को लगभग 100 वर्षो से वादीगण तन्हा काबिज काश्त है और आराजी को काश्त करते चले आ रहे है।

आगे वाद पत्र मे कथन किया कि पन्नालाल पुत्र भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसों के नाम दर्ज इन्तकाल नं0 1027 न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है प्रतिवादी कम 1 धन्नालाल व उसकी पत्नि मांगी बाई का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक धन्नालाल के वारिसान की कोई जानकारी वादीगण को नही है। और आज तक धन्नालाल के वारिसान ने अपने नाम फौती इन्तकाल दर्ज कराने की कोई कार्यवाही नही की है। लगभग 100 वर्षो से मृतक धन्नालाल का नाम राजस्व रेकार्ड में चला आ रहा है जबकि काश्त वादीगण कर रहे है मृतक धन्नालाल का नाम राजस्व रेकार्ड में होने से वादीगण सरकार

की कल्याणकारी योजनाओ का लाभ नही उठा पा रहे है इसलिए मृतक प्रतिवादी धन्नालाल का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी से हटाया जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत करने पर दावा दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड पीडी0 व जर्ये अखबार स्याहा तलब किया गया अखबार की प्रति न्यायालय में पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पीडब्ल्यू 1 पीडब्ल्यू 2 वादी के बयान करवाये गये दस्तावेज प्रदर्श वादी की ओर से करवाये गयें।

वकील वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण का बहस में कहना है कि 30 वर्ष पूर्व धन्नालाल की मृत्यु हो चुकी है आजतक कोई विधिक वारिस न्यायालय के सामने नही आया है कि उसके नाम फौती इन्तकाल दर्ज किया जावें। 100 वर्षो से आराजी पर वादीगण लगातार काश्त कर रहे है। मृतक धन्नलाल ने कभी भी आराजी को काश्त नही किया है। वर्तमान में भी मृतक धन्नालाल का कोई विधिक वारिस न्यायालय के समक्ष नही आया है। ऐसी परिस्थिती में मृतक धन्नालाल का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में से धन्नालाल का नाम हटाया जावे। और उसका हिस्सा 1/3 वादीगण के खाते में दर्ज किया जावे।

न्यायालय वकील वादी की बहस से सहमत है और राजस्व रेकार्ड देखने के पश्चात वाद वादी स्वीकार करना न्यायोचित समझता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या 126 ग्राम भगवानपुरा तहसील मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नं0 292 रकबा 2.43 है0, खसरा नं0 295/724 रकबा 1.40 है0 खसरा नं0 297 रकबा 1.75 है0, खसरा नं0 314 रकबा 1.31 है0, खसरा नं0 315/746 रकबा 2.25 है0 कुल किता 5 रकबा 9.14 है0 में से मृतक धन्नालाल पुत्र भंवरलाल का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी से खारिज किया जाकर मृतक का हिस्सा 1/3 वादीगण के खाते दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प बोहत मजमेंआम में सुनाया गया।